न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / रसद / 02 / 2019

देवी सिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत लुलहारा एफ.पी.एस पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर

..... अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, (द्वितीय) भरतपुर जरिये पैरोकर रसद, भरतपुर।

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 24.04.2018 जिला रसद अधिकारी भरतपुर प्रकरण संख्या 181 / 17 उनवानी सरकार बनाम देवीसिंह पहरसर एफ.पी.एस

उपस्थितिः—

1—तुलसीराम ऐडवोकेट अभिभाषक अपीलार्थी
2—प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार रसद

निर्णय

दिनांक 14.08.2019

अपीलान्ट ने यह अपील तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24—04—2018 विधि के प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के खिलाफ पेश की गई है। न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2018 प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये इक तरफा पारित किया है, जो गलत किया है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा बिना साक्ष्य व गवाहों के बयान लिए कार्यालय में बैठकर ही एक तरफा जांच कर अपीलांट के विरूद्व जांच रिपोर्ट तैयार की गई है जो कि अवैध एवं काबिले निरस्तनीय है। तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निलम्बित करने की कार्यवाही की गई है उस पर न तो किसी उपभोक्ता के बयानात व मौका कार्यवाही आदि संलग्न है। जांच रिपोर्ट में अपीलांट पर किसी भी उपभोक्ता का वितरण रजिस्टर में इंद्राज कर उसे राशन सामग्री नहीं देने तथा कालाबाजारी का कोई आरोप नहीं है। अपीलांट के विरूद्व जो आरोप हैं कतई निराधार एवं गलत लगाये हैं। तहत न्यायालय ने अपने आदेशों में यह स्पष्ट नहीं किया है कि अपीलांट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,11 व 17 (ग) इन शर्तों का किस प्रकार उल्लंघन किया है और ना ही तहत पत्रावली में कोई इस प्रकार का साक्ष्य है जिससे यह सिद्व होता है कि अपीलांट द्वार इन शर्तों का उल्लंघन किया है। मात्र अपने आदेश में यह लिख देना ही पर्याप्त नहीं है कि अपीलान्ट द्वारा प्राधिकार शर्तों का उल्लंघन किया है। प्रार्थी के पूरे परिवार का भरण पोषण उचित

मूल्य दुकान पर ही निर्भर था एवं प्रार्थी के पास परिवार का पेट भरने के लिए अन्य कोई स्त्रोत नहीं है। अतः तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2018 को निरस्त फरमाया जावे। अपीलांट को किसी भी तरह की जानकारी सूचना नहीं थी और नहीं कार्यवाही के बारे में इल्म था। अपीलांट का करीब 4–5 महीने पूर्व एक्सीडेण्ट हो गया था। जिसके इलाज में लगा रहा। प्रार्थी को अपने प्रकरण के बारे में पता चला तो दिनांक 31.12.2018 को कचहरी में आकर जानकारी की तो पता चला कि उसके खिलाफ में इकतरफा कार्यवाही में निर्णय किया गया है। एवं उसका लाईसेन्स निरस्त कर दिया है। तुरन्त ही कार्यवाही करने हेतु नकल प्रार्थना पत्र दिनांक 01.01.2019 को प्रस्तुत किया जो कि 03.01.2019 को प्राप्त हुई। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उक्त जैर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2018 को निरस्त कर अपीलांट के लाईसेंस को बहाल किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई।

अपीलान्ट अभिभाषक उपस्थित। रेस्पो. पैरोकार रसद ई.ओ. उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलांट अभिभाषक ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा बिना साक्ष्य व गवाहों के बयान लिए कार्यालय में बैठकर ही एक तरफा जांच कर अपीलांट के विरूद्व जांच रिपोर्ट तैयार की गई है जो कि अवैध एवं काबिले निरस्तनीय है। जांच रिपोर्ट में अपीलांट पर किसी भी उपभोक्ता का वितरण रजिस्टर में इंद्राज कर उसे राशन सामग्री नहीं देने तथा कालाबाजारी का कोई आरोप नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अस्पष्ट व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। दिनांक 24.04.2018 अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर अपीलांट के लाईसेंस को बहाल किया जावे।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया कि अपीलान्ट डीलर ने कई उपभोक्ताओ को राशन सामिग्री से वंचित रखकर व फर्जी तरीके से वितरण दर्शाकर 595 किग्रा0 गेंहू का दुरूपयोग किया है। अप्रार्थी डीलर को प्रकरण की सूचना होने के बाबजूद भी उपस्थित नहीं हुआ। और न उसके द्वारा आरोपों का खण्डन किया गया। आरोपी डीलर पर निर्धारित आरोप पुष्ट साक्ष्य के अभाव में स्थापित रहते है। अप्रार्थी डीलर का यह कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,11, व 17 (ग) का उल्लंघन किया है। उनका कहना है कि जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट अभिभाषक की बहस व रेस्पो. पैरोकार रसद के कथनों पर गौर किया गया। तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या शर्त संख्या 2,11व 17 सी का उल्लंघन किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अस्तु अपील काबिल खारिज के रहती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को सुनाया गया ।

(डॉ. आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official